पृष्ठ क्र : ३

भूमिका ब्योरा हेक्टेयर मे एंव करो का ब्योरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II

खसरा

NIC-VBR4-radharaman

139116600854

ग्राम करोंदिया हल्का जगमल रा. नि. नं खांड तहसील ब्योहारी. जिला शहडोल वर्ष २०१५-२०१६

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल खेती की गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के खेतों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
खसरा क्र.८०/२:निरंतर											१०/अ-१९(३)/१६-१७ आदेश दिनांक २५/०८/१७ से म.प्र.शासन वनीकृत किया गया
८१/२/ख म.प्र. शासन वन	३.८००	शासकीय									न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय के प्र.क्र. १०/अ-१९(३)/१६-१७ आदेश दिनांक २५/०८/१७ से म.प्र.शासन वनीकृत किया गया

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर

नाम, पद एवं दिनांक :

न्यायालय कलेक्टर, जिला शहडोल (म0प्र0)

प्र.क 10 / अ–19(3) / 2016–17

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
तर्फे कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग .... आवेदक
कमांक–2 शहडोल (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 17/08/17 को पारित एवं घोषित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.2 शहडोल द्वारा पत्र क. 1490 / कार्य / वन / 2017 / शहडोल, दिनांक 23.05.17 अनुसार म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा निम्नानुसार सिंचाई योजना स्वीकृत है। स्वीकृत योजनाओं में से निम्न योजनाओं में उसके नाम के सम्मुख वन भूमि (हेक्टेयर में) प्रभावित हो रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

स.क.	योजना का नाम	विकासखंड का नाम	प्रभावित रकबा	रिमार्क
1	समधिन जलाशय	ब्यौहारी	87.300	
2	ओदारी व्यपवर्तन	जयसिंहनगर	39.490	
3	बिछलीनाला जलाशय	जयसिंहनगर	8.600	
4	रिमार जलाशय	जयसिंहनगर	1.980	
5	दियापीपर जलाशय	गोहपारू	3.077	
6	हलफलनाला जलाशय	जयसिंहनगर	34.000	
		कुल रकबा–	**174.447**	

2. कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.) के पत्र क. 2130 / वन / 2016 / शहडोल, दिनांक 29.05.17 द्वारा वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल को संबोधित पत्र एवं पृ.क. 2131 / वन / 2016 / शहडोल, दिनांक 29.05.17 से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–2 शहडोल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी / तहसीलदार ब्यौहारी को पृष्ठांकित पत्र के परिपालन में उपयुक्त वन प्रभावित योजनाओं के बदले में राजस्व भूमि का राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया।

3. प्रकरण दर्ज किया जाकर संयुक्त निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, तहसीलदार ब्यौहारी, उपवनमंडलाधिकारी उप वन मंडल ब्यौहारी, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग ब्यौहारी, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग जयसिंहनगर एवं अधीनस्थ राजस्व, वन, जल संसाधन विभाग के अमले एवं संबंधित पंचायत के सरपंच द्वारा ग्राम रसपुर, खड़ड़ा, अनहरा, करौंदिया एवं सेजहरी में उपलब्ध राजस्व भूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया।

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला शहडोल की ओर उनके पत्र एवं पत्र क्र. 1723/आ.फा./2017/ब्यौहारी, दिनांक 03.06.17 को मौका पंचनामा एवं समस्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया गया। जिसमें ग्राम रसपुर की 52.050 हे. एवं खड्डा की 44.710 हे., ग्राम अनहरा की 29.744 हे, ग्राम करौंदिया की 39.465 हे. एवं ग्राम सेजहरा की 21.553 हे., कुल 187.522 हे. भूमि अभिलेखों का परीक्षण कर वन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई। संयुक्त निरीक्षण का मौका पंचनामा संलग्न हैं।

1. आवेदित भूमि का खसरा एवं नक्शे की छायाप्रति प्रकरण के साथ संलग्न है।
2. हस्तांतरित की जाने वाली भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं भूमि के वृक्षारोपण की उपयुक्तता के संबंध में उप वनमंडलाधिकारी ब्यौहारी, परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र ब्यौहारी, नायब तहसीलदार वृत्त आखेटपुर, राजस्व निरीक्षक ब्यौहारी, संबंधित ग्रामों के सरपंच एवं कोटवार की उपस्थिति में संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। उपयुक्त योजनाओं से प्रभावित भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का पृथक-पृथक मौका पंचनामा दिनांक 02.06.17 तैयार किया गया, जो प्रकरण के साथ संलग्न है। जिसमें वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होकर वन विभाग के लिये सहमत होना बताया गया है। तहसीलदार ब्यौहारी द्वारा भूमि हस्तांतरण के संबंध में इश्तहार जारी किया गया है। म्यादोपरांत व आज दिनांक तक कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई।
3. चयनित भूमि आवंटन के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(2) की कंडिका 5 (1), (2), (3), (4) में उल्लेखित बिन्दु की जानकारी निम्नानुसार है :-

(1) हस्तांतरित की जाने वाली भूमि किसी भी सामुदायिक प्रयोजन के लिये रक्षित नहीं है।

(2) राज्य शासन के अंतर्गत हस्तांतरित की जाने वाली भूमि किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिये रक्षित नहीं है।

(3) वन विभाग को राजस्व विभाग से हस्तांतरित की जाने वाली भूमि देने से ग्रामवासियों की निस्तार संबंधी आवश्यकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है, तथा किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही शासकीय प्रयोजन के लिए विभागीय तौर पर की जाना उचित है।

4. चयनित स्थल का स्थल निरीक्षण मय मौका पंचनामा प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।
5. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनानुसार चयनित भूमि आवंटन दिये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आना प्रतिवेदित किया है।
6. ग्राम रसपुर, खड्डा, अनहरा, करौंदिया एवं सेजहरी की शासकीय राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु खसरा नम्बर, रकबा आदि का विवरण तालिका अनुसार निम्नानुसार हस्तांतरित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

विवरण तालिका

स. क्र.	योजना का नाम	प्रभावित रकबा (हे.मे.)	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे.मे.)	वन विभाग को हस्तारित किया जाने वाला रकबा (हे.मे.)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समधिन जलाशय	87.300	रसपुर	1336/1	52.050	52.050	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			खड्डा	3497/1/ख/1	10.000	10.000	शासकीय जंगल तालाब
			खड्डा	3498	12.789	12.789	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			खड्डा	3499	9.325	9.325	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			खड्डा	3499/3837/1	3.136 (7.594 में से)	3.136	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
				योग–	**87.300**	**87.300**	
2	ओदारी व्यपवर्तन	39.490	सेजहरी	168/1	21.553	21.553	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			करौंदिया	9/1	6.259 (13.049 में से)	6.259	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			करौंदिया	7/1/ख	10.466	0.790	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			करौंदिया	11/1	3.844	3.844	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			करौंदिया	81/1/ख	0.486 (3.800 में से)	0.486	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			करौंदिया	5/1/ख	2.100	2.100	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
			खड्डा	3499/3837/1	4.458 (7.594 में से)	4.458	म.प्र. शासन राजस्व विभाग
				योग–	**39.490**	**39.490**	
3	बिछलीनाला जलाशय	8.600	करौंदिया	7/1/ख	**9.676** (10.466 में से)	**8.600**	म.प्र. शासन
4	रिमार जलाशय	1.980	खड्डा	3499/ 3833/1	0.389	0.389	म.प्र. शासन
			खड्डा	3499/ 3833/2	0.373	0.373	म.प्र. शासन
			खड्डा	3499/ 3834/2	0.389	0.389	म.प्र. शासन
			खड्डा	3449/3836	0.979	0.829	म.प्र. शासन
				योग–	**2.130**	**1.980**	
5	दियापीपर जलाशय	3.077	करौंदिया	81/1/ख	**3.314** (3.800 में से)	**3.077**	म.प्र. शासन
6	हलफलनाला जला.	34.000	अनहरा	84/1/क/1	29.744	29.744	म.प्र. शासन
			करौंदिया	82/2	2.767	2.767	म.प्र. शासन
			करौंदिया	8/1	3.439	1.489	म.प्र. शासन
				योग–	**35.950**	**34.000**	
		174.447		महायोग–	**177.860**	**174.447**	

4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी द्वारा दिनांक 01.06.17 एवं 02.06.17 द्वारा स्थल निरीक्षण
के उपरांत तैयार किया गया, मौका पंचनामा (स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन) से सहमत होकर ग्राम रसपुर,
खड्डा, अनहरा, करौंदिया एवं सेजहरी तहसील ब्यौहारी स्थित प्रश्नाधीन भूमि क्षेत्रफल 187.522 हे. म.
प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 237 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत वन विभाग को हस्तांतरित किये
जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

5. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमंडल शहडोल के पत्र क./मा.चि./1009/शहडोल, दि0 29.06.17
द्वारा लेख किया गया है कि प्रतिवेदित शासकीय भूमि, रकबा 174.447 हे. वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना
पाई जाकर वन विभाग को उपलब्ध कराई जाती है तो वन विभाग के कार्यालय उत्तर वन मंडल
शहडोल को आपत्ति नहीं है।

6. कार्यालयीन पत्र क. 2130/वन/2016/शहडोल, दि0 29.05.17 के परिपालन में जल संसाधन
विभाग जिला शहडोल की प्रस्तावित/निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं से प्रभावित वन भूमि के बदले
राजस्व भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रकरणो के त्वरित निराकरण के लिए संयुक्त निरीक्षण दल, जिसमें जल
संसाधन विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं
प्रतिवेदित भूमि सभी मापदंडों एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई। संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा
राजस्व विभाग की भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने हेतु अनुशंसा की गई है।

7. तहसील ब्यौहारी के प्रतिवेदन में निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं से वनभूमि के बदले में राजस्व
जमीन के हस्तांतरण हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र
4(1) के अंतर्गत समधिन जलाशय हेतु रसपुर की भूमि खसरा नम्बर 1336/1 रकबा 52.050 हे. ग्राम
खड्डा की भूमि खसरा नम्बर 3497/1/ख/1 रकबा 10.000 हे. का संपूर्ण भाग, खसरा क. 3498
रकबा 12.789 का संपूर्ण भाग, खसरा नं. 3499 रकबा 9.325 हे. का संपूर्ण भाग, खसरा क.
3499/3837/1 रकबा 7.594 में से 3.136 हे. कुल रकबा 87.300 में से 87.300 हे., ओदारी व्यपवर्तन
योजना हेतु ग्राम सेजहरी के खसरा क. 168/1 रकबा 21.553 हे. का पूर्ण भाग, ग्राम करौंदिया खसरा
क. 9/1 रकबा 13.049 हे. में से 6.259 हे. (6.790 हे. लो.नि.वि. शहडोल के लिए आरक्षित), खसरा
क. 7/1/ख रकबा 10.466 में से 0.790 हे., खसरा क. 11/1 रकबा 3.844 का पूर्ण भाग, खसरा क.
81/1/ख रकबा 3.800 में से 0.486 हे., खसरा क. 5/1/ख रकबा 2.100 हे. का पूर्ण भाग, ग्राम
खड्डा खसरा क. 3499/3837/1 रकबा 7.594 में से 4.458 हे., कुल रकबा 39.490 हे. में से 39.490
हे., बिछली नाला जलाशय हेतु ग्राम करौंदिया के खसरा क. 7/1/ख रकबा 9.676 में से 8.600 हे.,
रिमार जलाशय हेतु ग्राम खड्डा के खसरा क. 3499/3833/1 रकबा 0.389 का पूर्ण भाग, खसरा क.
3499/3833/2 रकबा 0.373 का पूर्ण भाग, खसरा क. 3499/3833/3 रकबा 0.389 का पूर्ण भाग,
खसरा क. 3499/3836 रकबा 0.979 में से 0.829 हे. कुल 2.130 हे. में से 1.980 हे., दियापीपर
जलाशय योजना हेतु ग्राम करौंदिया के खसरा क. 81/1/ख रकबा 3.800 हे. में से 3.314 हे. भाग से
3.077 हे. एवं हलफलनाला जलाशय हेतु ग्राम अनहरा के खसरा क. 84/1/क/1 रकबा 29.744 का
पूर्ण भाग, ग्राम करौंदिया के खसरा क. 82/2 रकबा 2.767 का पूर्ण भाग, खसरा क. 8/1 रकबा

3.439 में से 1.489 हे. कुल 35.950 हे. में से 34.000 हे., इस प्रकार 5 ग्राम के प्रस्तावित कुल रकबा 177.860 में से 174.447 हे. शासकीय राजस्व भूमि म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा वनमंडलाधिकारी उत्तर वन मंडल शहडोल को वृक्षारोपण हेतु म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(2) की कंडिका 5 के अंतर्गत निम्न शर्तो तथा प्रतिबंधनों के अधीन हस्तांतरित की जाती है। (तहसील ब्यौहारी कुल प्रस्तावित खसरा भूमि में से ग्राम खड्डा का खसरा क्र. 3499/3832 रकबा 2.670 हे. एवं खसरा क्र. 3499/3833 रकबा 0.202 हे. भूमि अप्रभावित है।)

1. तहसीलदार ब्यौहारी उक्त भूमि का अधिपत्य वनमंडलाधिकारी उत्तर वन मंडल शहडोल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सौंपकर मौका पंचनामा, कब्जा रसीद, मूल अभिलेख में सुरक्षित रखें एवं राजस्व अभिलेखों में तदनुसार संशोधन किया जाए तथा वन विभाग की भूमि जो अक्श में चिन्हांकित है को राजस्व विभाग में सम्मिलत किया जाना उचित है।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–2 शहडोल वन विभाग की चिन्हित स्थान की भूमि क्षेत्रफल 174.447 हे. पर बांध निर्माण आगामी 05 वर्षो में नहीं करते है तो प्रश्नाधीन भूमि वापस राजस्व विभाग की शासकीय भूमि घोषित कर राजस्व भू–अभिलेख में तदनुसार संशोधन किया जावेगा।

17/8/17

(मुकेश शुक्ल)
कलेक्टर
शहडोल, (म0प्र0)

पृ.क्र./10/31-19(3)/16-17/वन/भू–अर्जन/2017/ शहडोल, दिनांक– 17/08/17

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी, उत्तर वन मंडल, जिला शहडोल।
5. अपर कलेक्टर (राजस्व), जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार तहसील ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–2 शहडोल।

17/8/17

(मुकेश शुक्ल)
कलेक्टर
शहडोल, (म0प्र0)